

उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में नागरिक बोध के विकास में बाल संसद की भूमिका

हर्षवर्धन¹ & सुहासिनी बाजपेयी², Ph. D.

¹पी-एच.डी. शोधार्थी, शिक्षा विभाग, शिक्षा विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा-442001(महाराष्ट्र)

Email: harsh20692@gmail.com

²सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, शिक्षा विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा-442001(महाराष्ट्र)

Email: sunbajpai9@gmail.com

Paper Received On: 25 JULY 2022

Peer Reviewed On: 31 JULY 2022

Published On: 1 AUGUST 2022

Abstract

प्रस्तुत शोध पत्र में उच्च प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में नागरिक बोध के विकास में बाल संसद की भूमिका का अध्ययन किया गया है। इस शोध अध्ययन के उद्देश्य उच्च प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में नागरिक बोध के विकास में बाल संसद संचालित एवं बाल संसद विहीन विद्यालयों की प्रभाविता का अध्ययन करना है एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में नागरिक बोध के विकास में लिंग एवं क्षेत्र के आधार पर बाल संसद की प्रभाविता का अध्ययन करना है। प्रस्तुत शोध में जनसंख्या के रूप में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज एवं नैनी जिले के सरकार द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा-8 के अध्ययनरत सत्र-2021-2022 के विद्यार्थियों को चुना गया है तथा उद्देश्यपूर्ण विधि से प्रतिदर्श के रूप में 13 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से कुल 480 विद्यार्थियों का चयन किया गया है जिसमें बाल संसद संचालित विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या 237 एवं बाल संसद विहीन विद्यार्थियों की संख्या 243 है। आंकड़ों का संकलन करने के लिए स्वनिर्मित नागरिक बोध मापनी का निर्माण किया गया है तथा प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण एवं सार्थकता स्पष्ट करने के लिए विवरणात्मक सांख्यिकी का प्रयोग किया गया है। शोध निष्कर्ष में यह पाया गया कि नागरिक बोध के विकास में बाल संसद संचालित एवं बाल संसद विहीन विद्यालय के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर है। नागरिक बोध के विकास में बाल संसद संचालित लड़कों एवं बाल संसद लड़कियों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर है। जबकि नागरिक बोध के विकास में बाल संसद संचालित शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों एवं बाल संसद संचालित ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

मुख्य बिंदु: उच्च प्राथमिक स्तर, नागरिक बोध, बाल संसद



Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

प्रस्तावना

किसी व्यक्ति का विश्वास उसके व्यवहार को नियंत्रित करता है एवं उसका व्यवहार अनुकूल सामाजिक शिक्षा द्वारा संचालित होता है। नागरिक बोध लंबे समय से भारतीय पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग रहा है। हालांकि, हमारे नागरिकों में नागरिक उत्तरदायित्व की कमी विद्वानों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। मूल रूप से, नागरिक बोध वह भावना है जो एक व्यक्ति को सभ्य बनाती है। इसमें समाज के मानदंड एवं संविधान में निहित मूल्य शामिल हैं जो सामाजिक संदर्भ में उसके मूल्यों को निर्धारित करते हैं। नागरिक बोध एक व्यक्ति को एक ऐसी इकाई में बदल देती है जिसका राष्ट्र स्वप्न देखता है। किसी व्यक्ति को नागरिक बनाने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। व्यापक शब्दों में, संविधान में निहित एवं परंपरा के साथ जारी नैतिकता एवं मूल्य को देश के लोगों द्वारा आत्मसात किया जाता है। यह कहा जा सकता है कि जैसे-जैसे राष्ट्र विकसित होता है वैसे-वैसे नागरिक भावना सामाजिक लोकाचार के रूप में विकसित होती है साथ ही सभी मनुष्यों के लिए एक दयालु एवं सहयोग दृष्टिकोण नागरिक बोध का आधार है (पाण्डेय, 2016) लेकिन विद्यालयी परिस्थिति में विद्यार्थियों को नागरिक मूल्यों एवं नागरिक उत्तरदायित्वों से परिचित कराना सरल कार्य नहीं है। यह विषय विद्यार्थियों को पढ़ाकर या रटाकर नहीं सिखाया जा सकता है। यह ज्ञान व्यावहारिक है जिसे शिक्षकों को विद्यार्थियों को पढ़ाते समय अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही विद्यालय में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करना कठिन होता है जिससे विद्यार्थी स्वयं को उससे जोड़ सके। विद्यालय में बाल संसद गठन विद्यार्थियों को नागरिक मूल्य एवं उत्तरदायित्वों से परिचित कराने का सरलतम माध्यम हो सकता है। बाल संसद विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थियों द्वारा निर्मित संगठन है जिसमें सभी विद्यार्थी, शिक्षक के मार्गदर्शन में सहयोगात्मक रूप से कार्य करते हैं। यह सभी विद्यार्थियों को स्वभाविक अनुक्रिया करने एवं स्व: गति से सीखने का अवसर प्रदान करता है (पट्टनायक, 2020; दीक्षित, 2018)। वर्तमान शोध अध्ययन में इस तथ्य को जानने का प्रयास किया गया है कि बाल संसद नागरिक बोध के विकास में किस प्रकार सहायक है? तथा इसका उत्तर तथ्य परक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन की आवश्यकता

वर्तमान समय में शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों में से एक उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है बाल संसद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को क्रियात्मक रूप से सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा विभिन्न शोधकार्य, शोध पत्र एवं शोध लेख का अध्ययन किया गया तथा यह पाया कि सलीम एवं अन्य (2016), पाण्डेय(2016), श्रीवास्तव (2015), ट्राम्मेल्ल (2014), शर्मा (2012), विलकोक्स (2011), काहने एवं अन्य (2008) ने नागरिक बोध एवं नागरिक

शिक्षा से संबंधित कार्य किया लेकिन बाल संसद के माध्यम से नागरिक बोध के विकास से संबंधित अध्ययन का अभाव पाया गया। इसलिए शोधकर्ता ने *उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में नागरिक बोध के विकास में बाल संसद की भूमिका* का अध्ययन किया है।

संबंधित साहित्य का अध्ययन

नागरिक बोध से संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन के अंतर्गत **सलीम एवं अन्य (2016)** ने सिविल्स सेंस एमंग ट्राइबल हायर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स पर अध्ययन किया। निष्कर्ष में पाया कि जनजातीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में नागरिक भाव एवं इसके घटकों का स्तर संतोषजनक प्राप्त हुआ है। जनजातीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बालक एवं बालिकाओं के बीच नागरिक भाव में सार्थक अंतर है। जनजातीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बालक वर्ग की अपेक्षा बालिका वर्ग में नागरिक भाव का स्तर अधिक है। जनजातीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बालक वर्ग की अपेक्षा बालिका वर्ग में कानून के प्रति उच्च आज्ञाकारिता पायी गयी है। लोक संपत्ति के संरक्षण में जनजातीय उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय के बालक एवं बालिका वर्ग के बीच कोई सार्थक अंतर नहीं है। **पाण्डेय (2016)** ने उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में नागरिक बोध, नागरिक उत्तरदायित्व, रुचि एवं अकादमिक उपलब्धि पर सहकारी शिक्षण के प्रभाव का अध्ययन किया। निष्कर्ष में पाया कि कक्षा-8 के विद्यार्थियों में नागरिक बोध के विकास में परम्परागत एवं सहकारी शिक्षण विधि दोनों का सामान योगदान है। नागरिक बोध, रुचि एवं अकादमिक उपलब्धि के विकास में परम्परागत विधि की तुलना में सहकारी शिक्षण विधि अधिक प्रभावशाली पायी गई है। **श्रीवास्तव (2015)** ने विभिन्न शिक्षा परिषदों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों एवं उनके निष्पादन हेतु अपनायी गई शिक्षण युक्तियों का कक्षा आठ के विद्यार्थियों के नागरिक भाव एवं लोकतांत्रिक मूल्यों से संबंध का अध्ययन किया। विभिन्न शिक्षा परिषदों द्वारा निर्धारित नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तकों में उपस्थित नागरिक भाव से सम्बन्धित विषयवस्तु तथा लोकतांत्रिक मूल्यों से सम्बन्धित विषयवस्तु में पर्याप्त विभिन्नता है। विभिन्न शिक्षा परिषदों द्वारा निर्धारित नागरिक शास्त्र की विषयवस्तु के निष्पादन हेतु शिक्षकों द्वारा अपनायी गई शिक्षण युक्तियों में सार्थक विभिन्नता है। विभिन्न शिक्षा परिषदों से सम्बद्ध विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा आठ के नागरिक शास्त्र के विद्यार्थियों के नागरिक भाव एवं लोकतांत्रिक मूल्यों में सार्थक अन्तर है। **द्राम्मेल्ल (2014)** ने हाई स्कूल स्टूडेंट्स सिविल्स नॉलेज एंड सेंस ऑफ सिविल्स आइडेंटिटी: ए क्वासी- एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल सिविल्स लर्निंग प्रोग्राम्स पर अध्ययन किया। निष्कर्ष में पाया गया कि पाठ्यक्रम में पढ़ाए जा रहे सभी विषयों की तरह नागरिक शिक्षा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यदि नागरिक शिक्षा की पाठ्यक्रम में अवहेलना की जाए तो इसका छात्रों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। किसी राष्ट्र के निर्माण में नागरिक शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह

राजनीतिक समाजीकरण का एक रूप है जिसमें युवाओं को यह सिखाया जाता है कि लोकतन्त्र का नेतृत्व कैसे किया जाए? नागरिक शिक्षा हमारे समाज को सुरक्षित बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। **विलकोक्स (2011)** ने द इम्पोर्टेन्स ऑफ सिविल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी पर व्यष्टि अध्ययन किया। निष्कर्ष में यह पाया कि समाज की उन्नति, नागरिकों एवं लोकतान्त्रिक भावना के विकास के लिए नागरिक उत्तरदायित्व बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे विद्यालयी पाठ्यवस्तु में ही नहीं रखना चाहिए बल्कि व्यावहारिक रूप से विद्यार्थियों को सिखाना चाहिए। इसके लिए विभिन्न प्रकार की विद्यालयी एवं सामाजिक गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है। इससे विद्यार्थियों में आपसी संलग्नता में वृद्धि होती है तथापि विद्यार्थियों को यह अवसर मिलता है कि वह विद्यालय एवं समुदाय में अनुशासित जीवन का व्यतीत कर सकें। **काहने एवं अन्य (2008)** ने हाई क्वालिटी सिविल्स एजुकेशन वॉट इज़ ईट एंड हू गेट्स ईट? शोध अध्ययन के निष्कर्ष में यह पाया कि शिक्षक, विद्यार्थियों को नागरिक शिक्षा को सिखाने में अहम भूमिका निभाते हैं। सरकार का यह दायित्व होना चाहिए कि सभी विद्यालय को ऐसे अवसर प्रदान करें कि वह विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के नागरिक कौशल सीखने एवं उनके अभ्यास करने की अनुमति दें जिससे विद्यार्थी यह जान सकें कि सरकार कैसे कार्य करती है? सभी नागरिक कैसे इस कार्य प्रणाली के अंग होते हैं? तथा इसमें व्यक्ति की क्या भूमिका है?

शोध उद्देश्य

1. नागरिक बोध के विकास में बाल संसद संचालित एवं बाल संसद विहीन विद्यालयों की भूमिका का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. नागरिक बोध के विकास में बाल संसद की भूमिका का लिंग के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. नागरिक बोध के विकास में बाल संसद की भूमिका का शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध परिकल्पना

H₀₁: नागरिक बोध के विकास में बाल संसद संचालित एवं बाल संसद विहीन विद्यालयों के विद्यार्थियों की भूमिका के माध्य फलांकों में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

H₀₂: नागरिक बोध के विकास में बाल संसद की भूमिका में लड़के एवं लड़कियों के माध्य फलांकों में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

H₀₃: नागरिक बोध के विकास में बाल संसद की भूमिका में शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के माध्य फलांकों में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन की प्रकृति मात्रात्मक है जिसमें वर्णात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है इस शोध अध्ययन में जनसंख्या के रूप में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज एवं नैनी जिले के सरकार द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालय के सत्र 2021-2022 के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है एवं उद्देश्यपूर्ण विधि से प्रतिदर्श के रूप में 13 उच्च प्राथमिक विद्यालयों से कुल 480 विद्यार्थियों का चयन किया गया है।

शोध हेतु प्रयुक्त उपकरण

इस अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा आंकड़ों के संकलन के लिए स्वनिर्मित नागरिक बोध मापनी का निर्माण एवं मानकीकरण किया गया है। इस परीक्षण में नागरिक बोध से संबंधित चार आयामों को सम्मिलित किया गया है प्रथम आयाम- प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा एवं संरक्षण, द्वितीय आयाम- सभी वर्ग के प्रति संवेदनशीलता एवं सम्मान, तृतीय आयाम- सहयोग की भावना, चतुर्थ आयाम- स्वच्छता। इस परीक्षण में कुल 25 कथन हैं। प्रत्येक कथन के समक्ष तीन विकल्प – हाँ, नहीं एवं कभी-कभी दिये गए हैं। प्राप्त आंकड़ों की सार्थकता स्पष्ट करने के लिए माध्य, मानक विचलन तथा टी- परीक्षण का प्रयोग किया गया है। उदहारण स्वरूप नागरिक बोध मापनी के आयाम प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा एवं संरक्षण के दो कथनों को तालिका संख्या-1 में प्रस्तुत किया गया है-

तालिका संख्या-1

नागरिक बोध मापनी के आयाम प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा एवं संरक्षण के कथन

क्रम सं.	कथन	हाँ	नहीं	कभी-कभी
1.	मैं पर्यावरण के संरक्षण के प्रति अपने सहयोगियों तथा रिश्तेदारों को जागरूक करता/करती हूँ।	✓		
2.	मुझे पेड़-पौधे लगाने के लिए क्यारियाँ बनाना पसंद है।	✓		

आंकड़ों का विश्लेषण एवं निर्वचन

प्रस्तुत शोध अध्ययन से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण तालिका संख्या 2, 3 एवं 4 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका संख्या-2

	संख्या (N)	माध्य (Mean)	मानक विचलन (Std Deviation)	स्वतंत्रता मात्रा (df)	टी- परीक्षण t-Test	सार्थकता स्तर Level of Significance
नागरिक बोध						
बाल संसद संचालित विद्यालय के विद्यार्थी	237	62.96	4.708	478	3.70	0.05
बाल संसद विहीन विद्यालय के विद्यार्थी	243	61.44	4.274			स्तर पर सार्थक अंतर है।

बाल संसद संचालित एवं बाल संसद विहीन विद्यालय के विद्यार्थियों के नागरिक बोध अभिवृत्ति के माध्य फलांकों का टी-परीक्षण

तालिका संख्या -2 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि बाल संसद संचालित विद्यालय के विद्यार्थियों का माध्य एवं मानक विचलन क्रमशः 62.96 व 4.708 है तथा बाल संसद विहीन विद्यालय के विद्यार्थियों का माध्य एवं मानक विचलन क्रमशः 61.44 व 4.274 है। नागरिक बोध के विकास में बाल संसद संचालित एवं बाल संसद विहीन विद्यालय के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति के माध्य फलांकों की तुलना करने के लिए टी-परीक्षण की गणना की गई, जिसके परिणाम स्वरूप टी-मान 3.70 पाया गया है जो तालिका में स्वतंत्रता मात्रा 478 पर 0.05 स्तर पर सारणी मान 1.98 से अधिक है। अतः विद्यालय में नागरिक बोध के विकास में बाल संसद संचालित एवं बाल संसद विहीन विद्यालय के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर पाया गया है। अतः शून्य परिकल्पना “नागरिक बोध के विकास में बाल संसद संचालित एवं बाल संसद विहीन विद्यालयों के विद्यार्थियों की भूमिका के माध्य फलांकों में कोई सार्थक अंतर नहीं है।” 0.05 सार्थकता स्तर पर निरस्त किया जाता है।

तालिका संख्या-3

बाल संसद संचालित विद्यालय के विद्यार्थियों में लिंग के आधार पर नागरिक बोध अभिवृत्ति के माध्य फलांकों का टी-परीक्षण

लिंग	संख्या (N)	माध्य (Mean)	मानक विचलन (Std Deviation)	स्वतंत्रता मात्रा (df)	टी-परीक्षण t-Test	सार्थकता स्तर Level of Significance of
बाल संसद संचालित विद्यालय के लड़के	112	63.76	4.554	235	2.49	0.05 स्तर पर सार्थक अंतर है।
बाल संसद संचालित विद्यालय की लड़कियाँ	125	62.25	4.746			

तालिका संख्या -3 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि विद्यालय में लिंग के आधार पर, बाल संसद संचालित विद्यालय के लड़कों का माध्य एवं मानक विचलन क्रमशः 63.76 व 4.554 है तथा बाल संसद संचालित विद्यालय के लड़कियों का माध्य एवं मानक विचलन क्रमशः 62.25 व 4.746 है। नागरिक बोध के विकास में बाल संसद संचालित विद्यालय के लड़कों एवं बाल संसद संचालित विद्यालय की लड़कियों की अभिवृत्ति के माध्य फलांकों की तुलना करने के लिए टी-परीक्षण की गणना की गई जिसके परिणाम स्वरूप टी-मान 2.49 पाया गया है जो तालिका में स्वतंत्रता मात्रा 235 पर .05 स्तर पर सारणी मान 1.98 से अधिक है। अतः विद्यालय में लिंग के आधार पर, नागरिक बोध के विकास में बाल संसद संचालित लड़कों एवं बाल संसद लड़कियों की अभिवृत्ति के माध्य फलांकों में सार्थक अंतर है। अतः शून्य परिकल्पना “नागरिक बोध के विकास में बाल संसद की भूमिका में लड़के एवं लड़कियों के माध्य फलांकों में कोई सार्थक अंतर नहीं है।” 0.05 सार्थकता स्तर पर निरस्त किया जाता है।

तालिका संख्या-4

बाल संसद संचालित विद्यालयों के विद्यार्थियों में क्षेत्र के आधार पर नागरिक बोध अभिवृत्ति के माध्य फलांकों का टी-परीक्षण

क्षेत्र	संख्या (N)	माध्य (Mean)	मानक विचलन (Std Deviation)	स्वतंत्रता मात्रा (df)	टी-परीक्षण t-Test	सार्थकता स्तर Level of Significance of
बाल संसद संचालित शहरी क्षेत्र के विद्यार्थी	131	62.90	4.577	235	.286	0.05 स्तर पर सार्थक अंतर नहीं है।
बाल संसद संचालित ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी	106	63.08	4.802			

तालिका संख्या -4 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि क्षेत्र के आधार पर, बाल संसद संचालित शहरी क्षेत्र के विद्यालय के विद्यार्थियों का माध्य एवं मानक विचलन क्रमशः 62.90 व 4.577 है तथा बाल संसद संचालित ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय के विद्यार्थियों का माध्य एवं मानक विचलन क्रमशः 63.08 व 4.802 है। नागरिक बोध के विकास में बाल संसद संचालित शहरी क्षेत्र के विद्यालय के विद्यार्थियों एवं बाल संसद संचालित ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति के माध्य फलांकों की तुलना करने के लिए टी-परीक्षण की गणना की गई, जिसके परिणाम स्वरूप टी-मान .286 पाया गया है जो तालिका में स्वतंत्रता मात्रा 235 पर .05 स्तर पर सारणी मान 1.98 से अधिक है। अतः क्षेत्र के आधार पर, नागरिक बोध के विकास में बाल संसद संचालित शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों एवं बाल संसद संचालित ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति के माध्य फलांकों में सार्थक अंतर नहीं है। अतः शून्य परिकल्पना “नागरिक बोध के विकास में बाल संसद की भूमिका में शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के माध्य फलांकों में कोई सार्थक अंतर नहीं है।” 0.05 सार्थकता स्तर पर निरस्त नहीं की जा सकती है।

निष्कर्ष

आंकड़ों के विश्लेषण से निम्न लिखित परिणाम प्राप्त हुए हैं:-

- नागरिक बोध के विकास में बाल संसद संचालित एवं बाल संसद विहीन विद्यालय के विद्यार्थियों की भूमिका का तुलनात्मक अध्ययन करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति लिए दो समूह का चयन किया गया है जिसमें प्रथम समूह बाल संसद संचालित विद्यालय है जिसमें बाल संसद के पदाधिकारियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वच्छता आदि से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम आयोजन किया जाता है जिससे वे इन सभी विषय के संबंध में सैद्धांतिक पक्ष के साथ-साथ व्यावहारिक पक्ष को भी समझ सकें तथा दूसरा समूह, बाल संसद विहीन विद्यालय है जिसमें पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वच्छता आदि से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए परम्परागत शिक्षण पद्धति को अपनाया जाता है। अध्ययन के पश्चात् यह पाया गया कि बाल संसद संचालित विद्यालय एवं परम्परागत विधि से संचालित विद्यालय द्वारा सिखाए गए विद्यार्थियों की नागरिक बोध की अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर है। दोनों समूह में से किस समूह की अभिवृत्ति अधिक है, इस तथ्य की पुष्टि करने के लिए दोनों समूह के विद्यार्थियों के माध्य फलांकों का अवलोकन किया गया है। अवलोकन के पश्चात् यह पाया गया कि बाल संसद संचालित समूह के विद्यार्थियों का माध्य फलांक बाल संसद विहीन समूह के विद्यार्थियों के माध्य फलांक से सार्थक रूप से अधिक है। इस तथ्य के आधार पर कहा जा सकता है कि जब विद्यालय में बाल संसद के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वच्छता आदि से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है तो ये विद्यार्थी

प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा एवं संरक्षण, सभी वर्ग के प्रति संवेदनशीलता एवं सम्मान, सहयोग की भावना एवं स्वच्छता के प्रति अधिक सक्रिय रूप से सीखने का प्रयास करते हैं। पूर्व में हुए शोध कार्य के परिणाम भी हमारे शोध परिणाम का समर्थन करते हैं। **सलीम एवं अन्य (2016), पाण्डेय (2016), श्रीवास्तव (2015) एवं ट्राम्मेल्ल (2014)** ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वच्छता से संबंधित आदि विषय को विद्यार्थियों में सरलतम रूप से प्रेषित करने के लिए बाल संसद एक प्रभावी माध्यम हो सकता है।

- लिंग के आधार पर, नागरिक बोध के विकास में बाल संसद संचालित विद्यालय के लड़कों एवं लड़कियों माध्य के फलांकों का तुलनात्मक अध्ययन करना था। अध्ययन के पश्चात् यह पाया गया कि नागरिक बोध के विकास में बाल संसद संचालित विद्यालय के लड़के एवं लड़कियों के माध्य फलांकों में सार्थक अंतर है। **सलीम एवं अन्य (2016), ज़हॉस्का (2016) एवं तगुची (2013)** ने शोध कार्य में पाया है कि प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा एवं संरक्षण, सभी वर्ग के प्रति संवेदनशीलता एवं सम्मान, सहयोग की भावना एवं स्वच्छता आदि के व्यावहारिक पक्ष को विद्यार्थियों को सिखाने में लिंग का प्रभाव पड़ता है। जिसमें लड़के सक्रिय रूप से सहभाग करते हैं लेकिन **शर्मा (2012)** के परिणाम हमारे परिणाम से विपरीत पाये गए हैं। इन्होंने अपने शोध परिणाम में पाया कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, सभी वर्ग के प्रति संवेदनशीलता एवं सम्मान, सहयोग की भावना एवं स्वच्छता आदि के व्यावहारिक पक्ष को विद्यार्थियों को सिखाने में लिंग का प्रभाव पड़ता है जिसमें लड़कियाँ सक्रिय रूप से सहभाग करती हैं। अतः कहा जा सकता है कि विद्यार्थियों को प्राकृतिक के संरक्षण, सभी के प्रति संवेदनशीलता, सहयोग की भावना एवं स्वच्छता आदि को बाल संसद के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया जाता है तो इस पर लिंग का प्रभाव पड़ता है।
- क्षेत्र के आधार पर, नागरिक बोध के विकास में बाल संसद की भूमिका का शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करना। अध्ययन के पश्चात् यह पाया गया कि नागरिक बोध के विकास में बाल संसद की भूमिका में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय के विद्यार्थियों के माध्य फलांकों में कोई सार्थक अंतर नहीं है। अतः कहा जा सकता है कि बाल संसद में सभी विद्यार्थी समान रूप से प्रतिभाग करते हैं यह मंच विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को प्रेषित करने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए इस पर क्षेत्र/ निवास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

शैक्षिक निहितार्थ

वर्तमान शोध अध्ययन का शिक्षा के नीति-निर्माताओं एवं शिक्षकों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। जैसा कि शोध अध्ययन से पता चलता है कि बाल संसद विद्यालय के विद्यार्थियों को नागरिक मूल्यों से परिचित कराता है लेकिन सभी विद्यालय में बाल संसद का संचालन नहीं होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि नीति निर्माताओं द्वारा शैक्षिक प्रथाओं को इस तरह से पुनर्गठित किया जाना चाहिए जिससे विद्यार्थी को केवल निष्क्रिय श्रोता एवं ज्ञान संग्रह करने वाले ही बन कर न रह जाए बल्कि समाज के सक्रिय सदस्य बन सकें। विद्यालय पाठ्यचर्या के स्तर पर शिक्षण की परंपरागत पद्धति के स्थान पर अनुभव एवं अभ्यास पर आधारित सहकारी अधिगम एवं सामूहिक अधिगम को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। साथ ही पाठ्यचर्या में पाठ्य सहगामी गतिविधियों को महत्त्व प्रदान करना चाहिए। ये गतिविधियाँ विद्यार्थियों को समाज की समस्याओं से अवगत कराके उसके समाधान के लिए प्रेरित करती है साथ ही ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करती है जहाँ विद्यार्थी नागरिक मूल्यों का अभ्यास करना सीख सकता है। यह परिस्थितियाँ विद्यार्थियों के व्यावहारिक जीवन के समान हैं जिससे सीखना उनकी आदत का हिस्सा बन जाएगी एवं उसके दृष्टिकोण में बदलाव करेंगी। विद्यालय में बाल संसद के द्वारा इन सभी गतिविधियों का आयोजन विद्यार्थियों द्वारा स्वयं किया जाता है जिसमें विद्यार्थी अपने अनुभव एवं क्षमता के अनुसार सीखता है। **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020** के बिंदु 4.4 के अनुसार, “सभी स्तर पर पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि का समग्र केंद्रबिंदु शिक्षा प्रणाली को रटने की पुरानी प्रथा से अलग वास्तविक समझ और ज्ञान की ओर ले जाना है।” यह स्पष्ट करता है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रणाली में खेल एवं गतिविधि आधारित होना आवश्यक है अर्थात् उन्हें वास्तविक शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में नीति निर्माताओं द्वारा बाल संसद को विद्यालयी प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बनाने का प्रयास किया जाए तो बाल संसद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वर्णित उद्देश्य को पूरा करने में एक सक्रिय भूमिका निभा सकती है।

सन्दर्भ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति. (2020). स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण-शास्त्र: अधिगम समग्र, एकीकृत, आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए. शिक्षा मंत्रालय, 18-31.

https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf

पाण्डेय, सी. पी. (2016). इन्फ्लुएन्स ऑफ को-आपरेटीव लेर्निंग ऑन सिविक सैन्स, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरैस्ट इन स्टडी एंड अकादमिक अचिवमेंट ऑफ जूनियर हाई स्कूल स्टूडेंट्स. शिक्षा विभाग. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय.

श्रीवास्तव, आर. (2015). विभिन्न शिक्षा परिषदों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों एवं उनके निष्पादन हेतु अपनाई गई शिक्षण युक्तियों का कक्षा आठ के विद्यार्थियों के नागरिक भाव एवं लोकतांत्रिक मूल्यों से संबंध का अध्ययन. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय. वाराणसी.

- सलीम, टी.एम. एवं मुनीर, वी. (2016). सिविक सैन्स एमंग टूईबल हाइयर सैकण्डरी स्कूल स्टूडेंट्स. स्कालरीय रिसर्च जर्नल फॉर ह्यूमैनिटी साइन्स एंड इंग्लिश लैङ्ग्वेज. 6166-6171.
- ट्राम्मेल्ल, आर.ई. (2014). हाई स्कूल स्टूडेंट्स सिविक नॉलेज एंड सैन्स ऑफ सिविक आइडैन्टिटी: ए कासी-एक्सपेरिमेंटल स्टडि ऑफ इम्पैक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल सिविक लर्निंग प्रोग्राम्स. नोर्थयस्टेर्न यूनिवर्सिटी. बोस्टन.
- विलकोक्स, के. सी. (2011). द इम्पॉर्टेन्स ऑफ सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी. एजुकेशन एंड अर्बन सोसाइटी. 43(1), 26-41.
- काहने, जे. एवं मिडडॉघ, ए. (2008). हाई कालिटी सिविक्स एजुकेशन वॉट इज़ ईट एंड हू गेट्स ईट?. सोशल एजुकेशन 72(1) 34-39.
- पट्टनायक, वी. (2020). विद्यालय को सफल बनाने में बच्चों की भूमिका. ई-संवाद 13(2) 5-8.
- दीक्षित, पी. (2018). बाल संसद के रास्ते. प्राथमिक शिक्षक शैक्षिक संवाद की पत्रिका. प्राथमिक शिक्षक. 42(4), 36-41.